

पत्रावली सं० २/२०२१ सरकार बनाम सिमरजीत कौर

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
08/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>सिमरजीत कौर पत्नी</u> मुत्र श्री <u>गुस्तरण सिंह</u> जाति <u>भूषण</u> निवासी <u>19 P.T.D</u> में फसल <u>रबी/खसीक</u> संवत्/सन् <u>२०७७</u> में गांव/चक नं० <u>1 BWM/A</u> के मु० नं० <u>३३३ (10) ३३३ (11)</u> में <u>५.५९३३०</u> बीघा सिंचित व <u>—</u> असिंचित कुल <u>५.५९३३०</u> बीघा बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बैदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>50 गुणा</u> गुणा पेनल्टी राशि रू० <u>1837</u> अखरे रू० <u>५६५५५५</u> से <u>सेलीसम्पले मात्र</u> अधिशोषित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बैदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

वष २०२०-२०२१ के घ रजिस्टर
पृष्ठ संख्या २२५ की क्र. सं.
२ पर तावत राशि 1837
फसल निलामी का
की मांग कायम की गई।
Dor
सहायक राजस्व लेखाकार

h/a
उप तहसीलदार
तहसीलदारे (राजस्व)
जिला सीमरजीत
राजस्थान